न्यायालय –सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला–रायपुर, छ.ग.।

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 16.01.2025

जमानत याचिका क्रमांक 131/2025

नंदू धीवर, उम्र 35 वर्ष,
पिता श्री दुकालू धीवर
निवासी– ग्राम चंद्रखुरी, मंदिर हसौद
जिला रायपुर, छ.ग.। ..... आवेदक/अभियुक्त

–विरूद्ध–

छत्तीसगढ़ राज्य ..... अनावेदक

16.01.2025 **आवेदक/अभियुक्त नंदू धीवर** की ओर से श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य व्दारा श्री राजकुमार शुक्ला, लोक अभियोजक उपस्थित ।

आरक्षी केन्द्र, मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 11/2025 धारा–34(2) छ०ग० आबकारी अधिनियम की केस डायरी प्राप्त ।

प्रकरण आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर सुनवाई हेतु नियत है।

आवेदक व्दारा प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र पर उभय पक्षों के तर्क सुने गये ।

केस डायरी का परिशीलन किया गया।

आवेदक की ओर से आवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत् यह उसका प्रथम जमानत आवेदन–पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन–पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। पक्ष के समर्थन में आवेदक की पत्नी श्रीमती शिवानी धीवर का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक 07.01.2025 को अभियान कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना मंदिर हसौद के प्रधान आरक्षक अशोक वर्मा द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मय स्टाफ एवं गवाह घटनास्थल एन.एच.–53 रोड मोनेट मोड़ के पास मंदिर हसौद अंतर्गत पुलिस थाना मंदिर हसौद पहुंचा, जहाँ आवेदक /अभियुक्त के कब्जे के मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 04–एल.के. 9141 की डिक्की के अंदर प्लास्टिक बोरी में रखे 32 नग पौवा शोले देशी मदिरा मसाला शराब प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल 5.760

बल्क लीटर, कीमती 3,520/– रूपये मिला, जिसके अभिधारण के संबंध में अभियुक्त को धारा 94 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिस पर मौके पर उक्त मदिरा एवं मोटरसायकल को जप्त किया जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 11/2025 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण जारी है ।

आवेदक/ अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। पुलिस अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के साथ सांठ–गांठ कर निर्दोष लोगों को अभियोजित कर रही है । आवेदक 35 वर्षीय व्यक्ति होकर राजमिस्त्री का कार्य कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है । उसके अधिक दिनों तक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होने की संभावना है । आवेदक रायपुर जिले का स्थायी निवासी है, जिससे उसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है । वह न्यायालय द्वारा आदेशित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है । अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त से अवैध शराब की जप्ती की गई है। अपराध गंभीर है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त से कुल 5.760 बल्क लीटर शोले देशी मदिरा मसाला शराब एवं मोटरसायकल जप्त करना बताया गया है। आवेदक दिनांक 07.01.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक रायपुर जिले का निवासी है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विचारोपरांत आवेदक/अभियुक्त **नंदू धीवर** द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा

संबंधित न्यायालय की संतुष्टि योग्य 10,000/– रूपये(दस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उतनी ही राशि की एक सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर उन्मुक्त किया जावे।

शर्तेंः–

1. आवेदक /अभियुक्त अन्वेषण में सहयोग प्रदान करेगा।
2. आवेदक /अभियुक्त अन्य कोई अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा ।
3. आवेदक/अभियुक्त गवाहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित, प्रलोभित, प्रताड़ित नहीं करेगा।

उक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

आदेश की एक प्रतिलिपि पालन हेतु संबंधित न्यायालय को भेजी जावे, एक प्रतिलिपि मेल के माध्यम से केन्द्रीय जेल, रायपुर भेजी जावे तथा एवं प्रतिलिपि सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे ।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, व्यवस्थित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(बलराम प्रसाद वर्मा)
सत्र न्यायाधीश, रायपुर
छ.ग.।